

प्रेस नोट

दिनांक 11.06.2026

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा भैंस चोरी की घटना का सफल अनावरण, एक अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की पड़िया बरामद

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-126/2026 धारा 303(2), 317(4) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त असलम पुत्र कज्जन निवासी ग्राम खोरहंसा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 अदद पड़िया बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी कृष्ण छयल मिश्र पुत्र स्व० सेतू बरन मिश्र निवासी ग्राम खिरई खिरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना मोतीगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोरों द्वारा दिनांक 09/10.06.2026 की रात्रि में वादी के दरवाजे पर बंधी 01 भैंस व 02 पड़िया चोरी कर लिया गया है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 11.06.2026 को चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त असलम पुत्र कज्जन निवासी ग्राम खोरहंसा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 अदद पड़िया बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त असलम पुत्र कज्जन पूछताछ के दौरान बताया गया कि कि दिनांक 09/10.06.2026 की रात्रि में उसने अपने साथी नानबाबू उर्फ बंगाली पुत्र मोटे निवासी खोरहंसा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा के साथ मिलकर ग्राम खिरई खिरवा में सड़क किनारे बंधी एक भैंस व दो पड़िया चोरी की थी। चोरी के बाद दोनों अभियुक्त पशुओं को अपने गांव ले आये थे। अभियुक्त असलम ने एक पड़िया अपने घर पर छिपाकर बांध रखी थी, जबकि एक भैंस एवं एक पड़िया उसका साथी नानबाबू उर्फ बंगाली बेचने के उद्देश्य से कहीं ले गया था। अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से चोरी की एक पड़िया बरामद की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. असलम पुत्र कज्जन निवासी ग्राम खोरहंसा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-126/2026 धारा 303(2), 317(4) बीएनएस थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद पड़िया बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 ओमप्रकाश यादव

02. का0 महेश कुमार

03. का0 सचिन कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा